A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-शिवपुरी (म0प्र0)

शिवपुरी, दिनांक 11 /06/2020

// निविदा-विज्ञप्ति //

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक/7-ठेका/2020-21/36/56 कैम्प भोपाल दिनांक 10.06.2020 मे वर्णित निर्देश एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 तथा संशोधित राजपत्र क्रमांक 176 दिनांक 23.05.2020 मे उल्लेखित शर्तो एवं निंबधों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लायसेंस निरस्तीकरण से उत्पन्न परिस्थिति के कारण शिवपुरी जिले के वर्ष 2020-21 मे प्रचलित एकल समूह SVP/01 (92 देशी मदिरा एवं 22 विदेशी मदिरा) पर ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) आमंत्रित कर वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में टेण्डर सबमिशन समाप्ति दिनांक के आगामी दिवस से दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिये परिगणित आरक्षित मूल्य 160,49,98,354/- रूपये पर कलेक्टोरेट सभाकक्ष, शिवपुरी मे कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जिला समिति द्वारा कार्यवाही पूर्ण होने तक पुनर्निष्पादन निम्न सारणी अनुसार किया जावेगा।

1	ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 12 जून, 2020 को प्रातः 10:00 बजे से 17 जून, 2020 दोपहर 12:00 बजे तक।
2	ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 17 जून, 2020 दोहपर 12:05 बजे से।
3	ई-टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 17 जून, 2020 को अपरान्ह 04:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)
4	जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	ऑक्शन पूर्ण होने पर।

ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की प्रक्रिया में वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु पुर्ननिष्पादित की जा रही मदिरा दुकानों के एकल समूह SVP/01 (92 देशी मदिरा एवं 22 विदेशी मदिरा) के पुर्ननिष्पादन के लिये **टेण्डर हेतु आधार मूल्य 160,49,98,354/- रूपये, वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु परिगणित आरक्षित मूल्य के समतुल्य होगा।**

वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु पुर्ननिष्पादन की प्रक्रिया उपरांत निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक मूल्य पर निविदा प्रस्तुत करने वाले सफल निविदादाता को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) संशोधित दिनांक 23.05.2020 की कंण्डिका 70 में उल्लेखित नवीन विकल्प चुनने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इच्छुक व्यवसाइयों/व्यक्तियों द्वारा ऐसी दुकानों का विवरण, मदिरा की खपत, धरोहर राशि, वार्षिक लायसेंस फीस, ड्यूटी की दरों, आवेदन पत्र का मूल्य तथा संबंधित नियमों आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी से किसी भी दिनांक कार्यालयीन समय मे (अवकाश के दिनों सहित) दिनांक 12.06.2020 से प्राप्त की जा सकती है तथा मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध मे म0प्र0 राजपत्र असाधारण www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

कलेक्टर

जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक/आब./ठेका/2020/ 1187 शिवपुरी, दिनांक 11/06/2020

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल म0प्र0 की ओर विज्ञप्ति यथासंभव एक राज्य स्तरीय/एक स्थानीय समाचार पत्र मे शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

4- अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5- पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

7- समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग.......................की ओर सूचनार्थ।

8- जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क समाचार के रूप प्रकाशन हेतु।

9- समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, जिला.........................की ओर प्रचार-प्रसार हेतु सूचनार्थ।

10- प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (NIC) जिला शिवपुरी की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

11- समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व................. जिला शिवपुरी की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु सूचनार्थ।

12- प्रभारी अधिकारी सी.एस.-1बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

13- प्रभारी अधिकारी विदेशी मद्य भाण्डागार, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

14- समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक/मद्य भाण्डागार अधिकारी, जिला शिवपुरी म0प्र0 की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वृत्त क्षेत्र स्थित समस्त मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु संभावित इच्छुक व्यक्तियों से विशेष रूप से संपर्क कर निष्पादन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करें, ताकि शासन के राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि प्राप्त हो सके।

15- नाजिर, कलेक्ट्रेट शिवपुरी, की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।

16- जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।

कलेक्टर

जिला - शिवपुरी (म0प्र0)